वित्तीय स्वीकृति

संख्या-7/2017/499/18-2-2017-30(15)/2002

प्रेषक

पन्ना लाल
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उद्योग के पत्र संख्या-55/4-वित्त/बजट/मांग/2017-18 दिनांक 04-8-2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुरस्कृत करने हेतु श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित रू0 17.00 लाख (रूपये सत्रह लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष रू0 12.83 लाख (रूपये बारह लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि पुरस्कार हेतु पात्र उद्यमियों के चयन करने की सूचना शासन को उपलब्ध कराने तथा गत वर्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस धनराशि का आहरण एवं व्यय किया जायेगा तथा पुरस्कृत उद्यमियों की सूची वित्तीय वर्ष के अन्त तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल इंगित मानक मद में ही किया जायेगा एवं किसी भी दशा में किसी अन्य मदों में उपयोग नहीं किया जायेगा। धनराशि का वितरण सुनिश्चित करते हुए वितरण आदेश की प्रति शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 तथा सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2/3 को अवश्य उपलब्ध करायी जाय। प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये निर्देशों व शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-08-लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार योजना-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, वित्तीय एंव सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अर्थ नियंत्रक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर।
4- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।